



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2023/ 723

दिनांक :- 27/02/2023

-:: कार्यालय आदेश ::-

अनुमोदित ले-आउट प्लान खसरा नं० 351/18, 352/18 ग्राम हनुवंतखेड़ा क्षेत्रफल 3200 वर्गमीटर का समिति की बैठक दिनांक 15/02/2021 में लिये गए निर्णयानुसार अनुमोदन किया गया था। उक्त योजना में आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.5 प्रतिशत में भूखण्ड संख्या 16, 17, 18 (कुल भूखण्ड 03) क्षेत्रफल 2875 वर्गफीट आरक्षित किये गये थे।

योजना में आंतरिक विकास कार्य बाबत चार्टर्ड इंजीनियर के पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक 15/10/2022 के आधार पर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के कारण आरक्षित भूखण्ड संख्या 16, 17, 18 (कुल भूखण्ड 03) क्षेत्रफल 2875 वर्गफीट आरक्षित से मुक्त किये जाते हैं।

(राजेश जोशी)

सचिव

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2023/

दिनांक :- 10/02/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) उप सचिव (तृतीय), नगर विकास न्यास, कोटा।
- (2) रजिस्टार, रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी, उद्योग भवन, द्वितीय व तृतीय तल, आर.एस.आई.सी. विंग, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, राजस्थान, जयपुर।
- (3) श्री राजेश माहेश्वरी निवासी ए-666, इन्द्राविहार, कोटा।

(महावीर सिंह मीना)

वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर विकास न्यास, कोटा

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR
RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME
VILLAGE :HANUWANTH KHERA
IN KHASRA NO.: -351/18,352/18
TEH. LADPURA,
DIST. KOTA (RAJ.)

OWNER NAME:-

RAJESH MAHESWARI
S/O SH.LAXMI NARAYAN MAHESWARI
TALWANDI - KOTA

S.NO.	KH.NO-	AREA	
		IN HECT.	SQ.MT.
1.	351/18	0.16	1600
1.	352/18	0.16	1600

TOTAL : - 3200 SQ.MT.
34432 SQ. FT.

ले-आउट प्लान असाय नं० 351/18 (दक्षिणी दिशा), 352/18 (उत्तरी दिशा)
ग्राम हनुवतखेड़ा क्षेत्रफल 34432 वर्गफीट (Mark - -----)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 15/02/2021 में लिये गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है -

Plot Area	Informal Commercial	Park	Facility	Road
18559 वर्गफीट	18559 वर्गफीट	1772 वर्गफीट	500 वर्गफीट	12851 वर्गफीट
53.91 प्रतिशत	750 प्रतिशत	5.14 प्रतिशत	1.45 प्रतिशत	37.32 प्रतिशत

कुल क्षेत्रफल - 34432 वर्गफीट

- | | | |
|-----|--|-----|
| (1) | पहुंच तक एक नगराधिकार व्यूतकन 40 फीट रखा जावे। | EA% |
| (2) | खसरा नं० 18 में अनुमोदित योजना की सड़कों का मिला न किया जावे। | 78% |
| (3) | टाउनशिप पॉलिसी-2010 की पालना सुनिश्चित की जावे। | 4% |
| (4) | योजना में व्यूतकन 5 प्रतिशत पार्क एवं पैयू रखा जावे। | 9% |
| (5) | आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे। | 9% |
| (6) | नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3(77)नविधि/3/2009 पार्ट IV जयपुर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है। | 00% |
| (7) | नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 10/8/2020 के अनुसार प्रावधान रहे जाने होंगे। | |

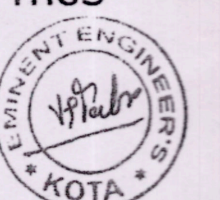
हरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

प्रदिय
नगर विकास ब्यास, कोटा

KHASRA BOUNDARY SHOWN THUS

Rert Mahamud
sing/owner

Prints



आर्मेड फोर्स नाम एन फोर्स के खसाम न.
351/18 रकम 0.16, 352/18 रकम 0.14 मिटर 2
रकम 0.32 इन बा खोमिंग A to E प्रमाणित
दिना, गमा/

24/1/2020

24/1/2020

24/1/2020